कृषि विभाग, बिहार सरकार

धान की समुदायिक नर्सरी विकास योजना वर्ष 2014

कार्यान्वयन अनुदेश

1.0 भूमिका : राज्य में प्रायः मानसून वर्षा के होने पर ही धान की खेती आरंभ करने की परम्परा है। लम्बी अवधि के (140 से 150 दिन में पकने वाले) धान प्रभेद की बिजाई 25 मई से 10 जून तक किया जाना आवश्यक है। राज्य में 90% किसान सीमान्त एवं लघु श्रेणी के हैं तथा इनके पास सिंचाई संसाधान की कमी है। लम्बी अवधि के प्रभेद की उपज क्षमता अधिक रहने के कारण कृषकों के बीच इनकी मांग अधिक है परन्तु मॉनसून वर्षा के विलम्ब से होने की स्थिति में बिजाई तथा रोपाई कार्य प्रभावित होता है एवं उत्पादन में कमी आती है।

जिन किसानों के पास निजी नलकूप, तालाब आदि सिंचाई संसाधन उपलब्ध रहता है उनके द्वारा लम्बी अथवा मध्यम अवधि के धान की बिजाई ससमय की जाती है तथा मॉनसून वर्षा होने पर इसका लाभ मिलता है एवं रोपनी कार्य समय से किया जाता है। सीमान्त एवं लघु किसानों के द्वारा राज्य के कुछ जिलों में बिचड़ा खरीदकर रोपाई कार्य भी किया जाता है। अतः जिन किसानों के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, उन किसानों के माध्यम से व्यवसायिक रूप से बिचड़ा तैयार करने के प्रोत्साहन स्वरूप धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना वर्ष 2013 से आरंभ की गयी है। समुदायिक नर्सरी विकास योजना कार्यक्रम खरीफ वर्ष 2014 में पुनः क्रियान्वित किया जाना है।

2.0 कार्यक्रमः इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नांकित विवरण के अनुसार किया जायेगा।

2.1 धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना वर्ष 2014 का क्रियान्वयन प्रत्येक जिला के 6 पंचायत में किया जाना है।

2.2 चयनित पंचायत में पाँच सिंचाई श्रोत को चिन्हित किया जाना है। प्रति सिंचाई श्रोत से कम से कम 5 एकड़ सिंचाई की क्षमता होना अनिवार्य है।

2.3 इस प्रकार प्रति पंचायत 25 एकड़ में तथा प्रत्येक जिला में 150 एकड़ क्षेत्रफल में धान की समुदायिक नर्सरी को क्रियान्वित किया जाना है।

2.4 सिंचाई का कमान्ड एरिया कम रहने पर समुदायिक नर्सरी के लिये अधिक सिंचाई श्रोतों की संख्या से 150 एकड़ क्षेत्रफल में कार्यक्रम जिला कृषि पदाधिकारी क्रियान्वित करावेंगे।

3.0 सहायता अनुदान : धान की समुदायिक नर्सरी विकास योजना वर्ष 2014 अन्तर्गत दो स्तर के लिये अनुदान विहित किया गया है जो निम्नांकित है।

3.1 **नर्सरी हेतु सहायता अनुदान** : सिंचाई सुविधा सम्पन्न क्षेत्रफल में धान की नर्सरी तैयार करने हेतु कृषक को प्रति एकड़ क्षेत्रफल के लिये बीज, वर्मी कम्पोस्ट/उर्वरक, बीज उपचार रसायन, पौधा संरक्षण रसायन, नर्सरी में तीन सिंचाई हेतु उपादान इत्यादि का निर्धारण जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक के सुझाव एवं उनकी उपलब्धता के आधार पर दिनांक 10.05.2014 तक निर्धारित किया जायेगा। समुदायिक नर्सरी का उपादान मॉडल निर्धारण के पश्चात् सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक अपने संबंधित जिलों से इसे प्राप्त कर कृषि निदेशक को दिनांक 15.05.2014 तक उपलब्ध करायेंगे।

शिविर में इन उपादानों को कृषक द्वारा क्रय करने के उपरांत अनुमान्य/ अधिकतम अनुदान सहायता रूपये 6,500/एकड़ की दर से चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

3.2 उपादानों के वास्तविक खरीद मूल्य 6,500.00 रूपये से कम रहने की स्थिति में वास्तविक क्रय मूल्य पर ही अनुदान सीमित रहेगा।

3.3 वर्ष 2013–14 में समुदायिक नर्सरी के लिये चयनित पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत में वर्ष 2014–15 के निर्धारित इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। अर्थात् गत वर्ष के लाभान्वित कृषक इस वर्ष लाभान्वित नहीं होंगे।

3.4 लाभान्वित कृषक तैयार किये गये इस बिचड़े को अनिवार्य रूप से पंचायत के संबद्ध सीमान्त एवं लघु कृषकों को विक्रय करेंगे।

3.5 **नर्सरी से बिचड़ा के क्रय हेतु सहायता अनुदान :** समुदायिक विकास नर्सरी योजना वर्ष 2014–15 अन्तर्गत बीजस्थली को संबंधित पंचायत के सीमान्त एवं लघु कृषकों को संबद्ध किया जायेगा तथा उनकी सहमति से धान प्रभेद का बिचड़ा सिंचाई श्रोत वाले कृषक द्वारा तैयार किया जायेगा।

3.6 संबद्ध किये गये कृषकों को तैयार बिचड़े के क्रय के लिये 10,000.00 रूपये प्रति एकड़ नर्सरी क्षेत्र पर अनुदान सहायता अनुमान्य है।

3.7 एक एकड़ तैयार नर्सरी से सामान्य विधि से 10 एकड़ खेत की रोपाई की जा सकती है। इस प्रकार संबद्ध सीमान्त एवं लघु कृषकों के द्वारा नर्सरी क्षेत्र से बिचड़े क्रय कर प्रति एकड़ रोपाई पर 1000.00 रूपये अनुदान सहायता कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर दिया जायेगा।

3.8 तैयार नर्सरी से धान रोपने के लिये एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ में धान रोपनी के लिये बिचड़ा खरीदने हेतु अनुदान सहायता दी जा सकती है।

4.0 चयन प्रक्रिया : निर्धारित लक्ष्य के क्रियान्वयन हेतु स्थल एवं कृषकों का चयन निम्नांकित के अनुसार किया जायेगा :–

4.1 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत का चयन कर लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

4.2 प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से पंचायत में गाँव का चयन कर समुचित सिंचाई संसाधन वाले कृषक एवं उनके खेत का चयन करेंगे।

4.3 नर्सरी के लिये विहित किये गये उपादानों के क्रय के उपरांत प्रति एकड़ 6,500.00 रूपये की अनुदान सहायता चयनित कृषक को चेक के माध्यम से किया जायेगा।

4.4 नर्सरी के लिये चयनित किसान द्वारा बिचड़ा क्रय करने वाले संबद्ध कृषकों के पंसद एवं सहमति के अनुरूप ही प्रभेद का उपयोग किया जायेगा।

4.5 नर्सरी तैयार करने वाले किसान को उक्त बिचड़े का स्वयं उपयोग करने की अनुमान्यता नहीं दी जायेगी।

4.6 चयनित किसान को अनिवार्य रूप से तैयार नर्सरी के बिचड़े को संबद्ध किये गये सीमान्त एवं लघु कृषकों को अनुमान्य दर पर बिचड़ा विक्रय किया जायेगा।

4.7 समुदायिक नर्सरी से रोपाई करने वाले कृषकों के धान की रोपनी क्षेत्रफल के आधार पर किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा संबद्ध किया जायेगा।

4.8 नर्सरी तैयार करने वाले किसान के खेत पर सामुदायिक विकास नर्सरी के संबंध में डिस्पले बोर्ड लगाया जायेगा। इसपर होने वाला व्यय आकस्मिक निधि से प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

4.9 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निहित राशि का उपयोग इस वर्ग के कृषकों के लिये अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5.0 तकनीकी मार्गदर्शन :

5.1 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक पंचायत में धान की सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम के चयनित नर्सरी तैयार करने वाले कृषकों को 15 मई, 2014 के पूर्व विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें कृषि विभाग के पदाधिकारी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को संबद्ध किया जायेगा।

5.2 नर्सरी से संबद्ध किये गये कृषकों को इस कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी जायेगी तथा इस सामुदायिक नर्सरी से बिचड़ा का क्रय एवं अनुदान की प्रतिपूर्ति के संबंध में भी जानकारी दी जायेगी।

5.3 तकनीकी मार्गदर्शन में इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि धान की नर्सरी वैज्ञानिक तरीके से की जाय तथा अनुमान्य उपादानों का ससमय उपयोग किया जाय।

5.4 सिंचाई श्रोत से आवश्यकतानुसार सिंचाई कर बिचड़ों को जीवित रखा जाय।

5.5 कीट एवं व्याधि के नियंत्रण हेतु क्षेत्र विशेष के अनुसार उपादानों का समुचित उपयोग ससमय कराया जाय।

6.0 अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :

6.1 सामुदायिक नर्सरी तैयार करने के लिये चयनित द्वारा अनुमान्य किये गये उपादानों के प्रखंड स्तरीय शिविर में क्रय करने के उपरांत भौतिक सत्यापन के बाद अभिश्रव के आलोक में वास्तविक मूल्य अथवा अधिकतम रूपये 6,500.00 प्रति एकड़ की दर से चेक के माध्यम से शिविर में ही भुगतान किया जायेगा।

6.2 नर्सरी से बिचड़ा क्रय करने हेतु संबद्ध कृषकों की एक पंजी कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा संधारित की जायेगी जिसमें निम्नांकित सूचनायें अंकित की जायेगी।

क्र0 सं0	किसान का नाम	ग्राम+पंचायत+ प्रखंड	रोपनी हेतु रकवा	अनुदान राशि (रू0 में)	हस्ताक्षर

6.3 लघु तथा सीमांत किसान द्वारा बिचड़ा खरीदने पर यदि 500/–रू0 से कम की अनुदान राशि अनुमान्य हो तो वह नगद भुगतान किया जायेगा तथा 500/–रू0 से अधिक राशि होने की स्थिति में चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

6.4 अनुमान्य अनुदान की राशि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भुगतान करायी जायेगी।

7.0 अभिलेखीकरण : धान की समुदायिक नर्सरी विकास योजना वर्ष 2014 की सफलता की कहानी फोटोग्राफी/विडियोग्राफी/आलेख के माध्यम से संधारित किया जायेगा एवं सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक इसे संकलित कराते हुए कृषि निदेशक को दिनांक 20.11.2014 तक उपलब्ध करायेंगे।